महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकः एफ. (गोपनीय–प्रथम)/मदसविवि/2026/
:

दिनांक

अधिसूचना

विद्या परिषद की 83वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2026 के कार्यवृत्त के मद संख्या 09 व प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2026 के मद संख्या 03 की अनुपालना में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परीक्षार्थियों को मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति प्रदत्त करने हेतु निम्नानुसार नियम प्रभावी किये जाते है–

1. मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रति लेने हेतु आवेदन परीक्षार्थी द्वारा केवल ऑनलाइन पद्धति से ही किया जायेगा और इस हेतु विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र पर ही आवेदन किया जाना होगा । इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क रू. 10/– एवं प्रति उत्तरपुस्तिका शुल्क (रू. 2/– प्रति पृष्ठ) ऑनलाइन ही परीक्षार्थी द्वारा जमा करवाया जाना होगा ।
2. उत्तरपुस्तिका की स्कैन कॉपी संबंधित परीक्षार्थी को ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करवायी गयी ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध करवायी जायेगी । परीक्षार्थी को स्वयं की उत्तरपुस्तिका ही प्रदत्त की जायेगी किसी अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका प्रदत्त नहीं की जायेगी ।
3. मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकॉ की प्रति प्राप्त करने हेतु संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर परीक्षार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा एवं इसकी हार्ड कॉपी की प्रति मय संलग्नक आवेदन की तिथि से 07 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी ।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. आवेदक को अपनी नवीनतम फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर स्कैन करनी होगी साथ ही आवेदक को अपना आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी ।
6. अपूर्ण व गलत भरे गये आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी।
7. यदि कोई परीक्षार्थी मूल्यांकन/समीक्षा हेतु आवेदन करता है और आर.टी.आई. के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रति भी वांछित करता है तो उसे पुनर्मूल्यांकन/समीक्षा पश्चात् की उत्तरपुस्तिका की प्रति (स्केन कॉपी) दी जायेगी ।
8. परीक्षक द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन से संबंधित शिकायत किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
9. आर.टी.आई. के तहत प्राप्त उत्तरपुस्तिका में अंको के योग में गलती, प्राप्तांक चढ़ाने की गलती एवं उत्तरपुस्तिका में कोई पार्ट/प्रश्न बिना जंचा हुआ हो तो परीक्षार्थी उत्तपुस्तिका लेने की तिथि से 20 दिवस के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा नियन्त्रक

P.T.O.

क्रमांकः एफ. (गोपनीय–प्रथम)/मदसविवि/2026/10482-501 दिनांक : 16/11/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. समस्त प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक, मदसविवि, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त ।
2. निदेशक, Internal Quality Assurance Cell (IQAC) मदसविवि, अजमेर ।
3. एसीपी, मदसविवि, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें ।
4. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदसविवि, अजमेर ।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/सामान्य प्रशासन, मदसविवि, अजमेर ।
6. सहा. कुलसचिव, शैक्षणिक, प्रथम मदसविवि, अजमेर ।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा (स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य), मदसविवि, अजमेर ।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा (स्नातकोत्तर), मदसविवि, अजमेर ।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय प्रथम व द्वितीय, मदसविवि, अजमेर ।
10. कुलगुरू कार्यालय, मदसविवि, अजमेर ।
11. निजी सहायक, कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर ।

सहा. कुलसचिव
गोपनीय–प्रथम